A67

संख्या–108/XVIII(III)/2016–2(04)/2016.

प्रेषक,

डी0एस0 गर्ब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
पौडी।

राजस्व अनुभाग–3 **देहरादूनः दिनांकः30 मार्च, 2016**

विषयः– जनपद पौडी के अन्तर्गत ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेल लाईन के निमार्ण हेतु ग्राम चिलगढ मल्ला,पोखरी,श्रीकोट,चिलगढ,कोठड,फरासू,स्वीत,डुगरी पंथ,पन्तलगा डुगरीपंथ,दिखोल्यूँ,पुराना श्रीनगर,ढामक,सौड,राजसेरालगा,बगवान लगा,भलगांव की कुल 21.534 है0 गैर वन भूमि भारतीय रेल विभाग,भारत सरकार को सशुल्क हस्तांतरित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त एवं सचिव,राजस्व परिषद,उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–5834/पॉच–भू.हस्ता./रा0प0/16 दिनांक 06 फरवरी,2016, पत्र संख्या–5927/पॉच–भू.हस्ता./रा0प0/16 दिनांक 18 फरवरी,2016,पत्र संख्या–6039/पॉच–भू.हस्ता./रा0प0/16 दिनांक 06 फरवरी,2016 एवं आपके पत्र दिनांक 11 जनवरी,2016 एवं दिनांक 05–02–2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल,जनपद पौडी के अन्तर्गत ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेल लाईन के निमार्ण हेतु ग्राम चिलगढ मल्ला, पोखरी, श्रीकोट, चिलगढ,कोठड,फरासू,स्वीत, डुगरी पंथ, पन्तलगा डुगरीपंथ, दिखोल्यूँ,पुराना श्रीनगर, ढामक, सौड,राजसेरालगा,बगवान लगा,भलगांव की कुल 21.534 है0 गैर वन भूमि भारतीय रेल विभाग,भारत सरकार को शासनादेश सं0–258/16 (1)/73–राजस्व–1 दि0–09.05.1984 एवं यथा संशोधित शासनादेश संख्या–1695/97–1–1(60)/93–280–रा0–1 दिनांक–12.09.1997 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत वर्तमान प्रचलित बाजार दर से निकाले गये भूमि के मूल्य एवं उक्त भूमि की मालगुजारी के 100 गुने के बराबर धनराशि एकमुश्त जमा किये जाने पर निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन भारतीय रेल विभाग,भारत सरकार के नाम हस्तान्तरण/आवंटित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(1) राजस्व विभाग के शासनादेश दिनांक 9–5–1984 की व्यवस्थानुसार रेलवे विभाग से भूमि की कीमत प्रचलित बाजार दर से तथा मालगुजारी के 100 गुने के बराबर की एक मुश्त धनराशि भी वसूल की जायेगी।

(2) ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेल लाईन परियोजना का कार्य सार्वकालिक/स्थाई प्रकृति का होने के दृष्टिगत उत्तराखण्ड सरकार की गैर वन भूमि/सिंविल भूमि को रेल विभाग भारत सरकार के नाम सर्वाधिकार सहित,स्थाई तौर पर हस्तान्तरित कर दी जाय।

(3) जिलाधिकारी द्वारा भारतीय रेल विभाग,भारत सरकार से भूमि का मूल्य एवं मालगुजारी प्राप्त कर सम्बन्धित लेखाशीर्षक में जमा किया जायेगा।

(4). प्रश्नगत नॉन जेड0ए0 भूमि आवंटन के पूर्व जमींदारी विनाश एवं भू–सुधार अधिनियम की धारा–132 के समकक्ष एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) जिलाधिकारी द्वारा राजस्व विभाग,उ0प्र0शासन के शासनादेश संख्या–258दि0–9.5.1984 के प्राविधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत मामले में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(NGT)के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) इस संबंध में सिविल अपील संख्या–1132/2011 (एस0एल0पी0)/(सी) संख्या–3109 /2011 श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) रिट याचिका संख्या–233/2008श्रीमती बीना बहुगुणा बनाम राज्य में मा0उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में शासनादेश दिनांक 13–11–2013 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत की गयी है।

अतः इस संबंध में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश एवं इस शासनादेश की शर्तों की अनुपालन स्थिति से भी अनिवार्य रूप से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव।

पृ0प0सं0–108 (1) /XVIII(III)/2016– तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौड़ी।
3. डिप्टी चीफ इंजीनियर,उत्तर रेलवे,मुरादाबाद,उ0प्र0।
4. संयुक्त महाप्रबन्धक,रेल विकास निगम लि0,ऋषिकेश–देहरादून।
5. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय।
6. प्रभारी मीडिया केन्द्र, सचिवालय।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0पी0 जोशी)
अपर सचिव।